संख्या: 234 /33–3–2016–2/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, पंचायतीराज
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 18 फरवरी,2016

विषयः 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपयोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2015–16 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों अन्तर्गत वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–13(32)FFC/FCD/2015-16 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग (वर्ष 2015–20) की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 की बेसिक ग्रान्ट की धनराशि आवंटित करते हुए उसके उपभोग के लिए मार्गनिर्देश निर्गत किये गये हैं। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों में केवल ग्राम पंचायत को ही धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत दो भागों में–90 प्रतिशत अनुदान की धनराशि मूलभूत अनुदान (बेसिक ग्रान्ट) के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि निष्पादन अनुदान (परफार्मेन्स ग्रान्ट) के रूप में अनुमन्य की गयी है। उक्त अनुदान की धनराशि उन्हीं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जायेगी जो नियमानुसार निर्वाचन के उपरान्त विधिवत रूप से संघटित की गयी है। जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में किये गये प्राविधानों के आधार पर जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 80 : 20 के सिद्धान्त को अपनाते हुए अर्थात 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगा:–

(i) 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधा, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबन्धन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्ध(SLWM), सीवेज, बाढ़ के पानी की निकासी, सामुदायिक सम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों का रख–रखाव,

फूटपाथ, स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान/ श्मशान भूमि एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं जिसका कार्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है के निर्माण/रखरखाव पर व्यय किया जायेगा।

(ii) पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को ग्राम पंचायतें उन मदों पर व्यय करेगी जो नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वांछित हो। साथ ही ऐसे कार्यों/योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित कार्यों/अधिकारों जिनका प्रतिनिधायन ग्राम पंचायतों को किया गया है।

ग्राम पंचायतें 14 वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनायेंगी और खण्ड स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना सहायक विकास अधिकारी (प0) स्तर पर संकलित कर अपने स्तर से जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। एक्शन साफ्ट साफ्वेयर (www.reportingonline.gov.in) पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई0डी0 जनरेट की जायेगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन साफ्ट साफ्वेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जायेगी। प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर (www.accountingonline.gov.in) पर कार्यों के आई0डी0 (Work Id) के सापेक्ष खर्च का ब्यौरा भी दिया जायेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा तथा प्लान-प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्ययोजना को अपलोड किया जायेगा। प्लान-प्लस साफ्टवेयर वर्तमान में भारत सरकार में तैयार किया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक पंचायतीराज द्वारा पृथक से इस सम्बन्ध मे निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

1– तकनीकी एवं प्रशासनिक मद:–

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को संक्रमित की जाने वाली बुनियादी अनुदान की धनराशि के अन्तर्गत कुल आवंटन की 10 प्रतिशत से अनधिक धनराशि तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता के रूप में व्यय की जा सकेगी।

(क) अनुमन्य गतिविधियां:–

यह धनराशि निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता हेतु विभिन्न स्तर पर (न्याय पंचायत (क्लस्टर), क्षेत्र

पंचायत एवं राज्य स्तर पर) व्यय की जा सकेगी। प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियां इस मद में अनुमन्य हैं :-

(i) संक्रमित धनराशि से ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर (न्याय पंचायत स्तर) पर प्रति न्याय पंचायत एक पंचायत सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर तथा एक चौकीदार की सेवाएं सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानदेय पर ली जायेगी।

(ii) इसी प्रकार खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) के नियंत्रण में एक एकाउन्टेन्ट, एक कम्प्यूटर आपरेटर तथा दो अवर अभियंता (2 सिविल) की व्यवस्था सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानदेय पर की जायेगी।

(iii) जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा सहायक अभियन्ता, जिलाप पंचायत की सहायता से तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(iv) न्याय पंचायत स्तर पर एकमुश्त डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम सहवर्ती उपकरणों सहित स्थापित किये जायेंगे, साथ ही साथ न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम का अनुरक्षण (ए.एम.सी.) भी इस मद से किया जायेगा।

(v) क्षेत्र पंचायतों को भी एक-एक डेस्कटाप कम्प्यूटर सिस्टम सहवर्ती उपकरणों समेत ग्राम पंचायतों की तकनीकी सहायता हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) एकमुश्त धनराशि इन्टरनेट की सुविधा हेतु तथा उस पर आने वाले मासिक व्यय (Recurring cost) का भुगतान इसी मद से किया जा सकेगा।

(vii) ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने में विभिन्न प्रक्रियाओं यथा पी आर.ए. (PRA), आई.ई.सी. (IEC) सर्वे, योजना का मानचित्रीकरण, अन्य अभिलेख तैयार करने, परामर्श लेने तथा वांछित सामग्री पर आने वाले व्यय का वहन इस मद से किया जा सकेगा।

(viii) उक्तानुसार मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को यात्रा भत्ता का भुगतान शासकीय दरों पर प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष प्रशासनिक मद से किया जा सकेगा।

(ix) न्याय पंचायत स्तर पर एक मुश्त फर्नीचर का क्रय तथा उसकी मरम्मत भी की जा सकेगी।

(x) एक मुश्त धनराशि लेखों (Accounts) के अद्यतन किये जाने हेतु।

(xi) ग्राम पंचायतों के आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट किये जाने पर आडिट फीस का भुगतान अनुमन्य दरों पर किया जा सकेगा। यदि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्टेटूअरी आडीटर नहीं है तो।

(xii) कार्यों के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (प०) को रू० 4000/- प्रतिमाह तक निर्धारित यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(xiii) आंकड़ों की प्रविष्टियों हेतु आने वाले व्यय का भुगतान को इस मद से किया जा सकेगा।

(xiv) ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन (SLMM) तथा पेयजल इत्यादि योजनाओं से सम्बन्धित तकनीकी योजना को तैयार करने के आने वाले व्यय का वहन भी इस मद से किया जा सकेगा।

(xv) कार्मिकों का क्षमता संवर्द्धन हेतु धनराशि का व्यय इस मद से किया जा सकेगा यदि किसी अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सेक्टर योजनाओं में प्राविधान न हो।

(xvi) न्याय पंचायत कार्यालय के बिजली/पेयजल पर आने वाले बिलों का भुगतान भी इस मद से किया जा सकता है, यदि किसी अन्य योजना में इसका प्राविधान नहीं है।

(xvii) सामाजिक अंकेक्षण पर आने वाले व्यय का भुगतान योजना की प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

(xviii) ग्राम पंचायतों में समय-समय पर सिविल (Civil) कार्यो की गुणवत्ता की परख हेतु मानदेय पर प्रोफेशनलस् (Professionals) की सेवायें मानदेय पर ली जा सकती है।

(ख) प्रतिबन्धित गतिविधियां

चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में आवंटित धनराशि का व्यय निम्नलिखित मदों में नहीं किया जायेगा-

(i) अन्य योजनाओं ने अनुमन्य मदो पर जिनके लिए धनराशि की व्यवस्था है, उस पर कोई व्यय इस मद से नहीं किया जा सकेगा।

(ii) सम्मान समारोह (Felicitation)/सांस्कृतिक कार्यक्रमों/सजावट/उद्घाटन/मानदेय (पुरस्कार सम्बन्धी) निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता शासकीय एवं संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का कोई Doles/Awards पर व्यय नहीं किया जायेगा। मनोरंजन, ए.सी. का क्रय तथा वाहनों का क्रय इस मद से नही किया जा सकेगा।

(ग) उल्लिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन–

(i) विकास खण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों को एक कलस्टर (न्याय पंचायत) का सृजन किया जायेगा जो कि उस न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को वांछित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(ii) न्याय पंचायत स्तर का कार्यालय सर्वाधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में स्थापित किया जायेगा। उस ग्राम पंचायत में पंचायत भवन न होने की दशा में न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली अन्य सर्वाधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत में कार्यालय स्थापित किया जा जायेगा।

(iii) सहायक विकास अधिकारी(पं0) के पद नाम से क्षेत्र पंचायत स्तर पर 14वें वित्त आयोग के तकनीकी एवं प्रशासनिक मद नाम से एक बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त होने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि से न्याय पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, तथा राज्य स्तर पर सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से मानदेय पर रखे जाने वाले कर्मचारी तथा क्वालिटी मानिटर के यात्रा भत्ता एवं अन्य प्राविधानित मदों पर व्यय किया जा सकेगा।

विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिविधियों पर आने वाले खर्च का अंश 14वें वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम पचायतों द्वारा अनुपातिक अंश की धनराशि क्षेत्र पंचायत/सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी, अर्थात वर्ष में दो बार अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा न्याय पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर आने वाले व्यय का वहन इसी मद से किया जायेगा।

(iv) चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्तुत बुनियादी अनुदान की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। कुल 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि का क्षेत्र पंचायत में सहायक विकास अधिकारी(पं0) स्तर पर खोले गये खाते में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के 10 प्रतिशत धनराशि का 64.5 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे विभिन्न (न्याय पंचायत, विकास खण्ड एवं राज्य) स्तरों पर विभिन्न निर्धारित मदों में आने वाले खर्च पर व्यय की जा सकेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा अवशेष धनराशि विभिन्न अनुमन्य गतिविधियों पर व्यय की जा सकेगी। राज्य स्तर पर 14वें वित्त आयोग का

राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खाता खोला जायेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त होने वाली 64.5 प्रतिशत धनराशि में से 1.0 प्रतिशत निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को सहायक विकास अधिकारी(पं0) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय ग्राम पंचायत के कार्यों के मूल्यांकन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण मदों में किया जा सकेगा। अर्थात इस प्रकार ग्राम पंचायतों द्वारा क्षेत्र पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) के खाते में तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 10 प्रतिशत धनराशि का कुल 64.5 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) वर्तमान वित्तीय वर्ष 14वें वित्त आयोग की अवधि का प्रथम वर्ष है अतः मुख्य रूप से अनावर्ती व्यय (कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फर्नीचर इत्यादि के क्रय) एवं आवर्ती व्यय की एक मुश्त व्यवस्था हेतु धनराशि को केन्द्रीयकृत करने का औचित्य है। किन्तु तत्पश्चात आगामी वर्षों में मुख्य रूप से आवर्ती व्यय की आवश्यकता होगी, जिसका निर्धारण तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाना उचित होगा। अतः तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 10 प्रतिशत धनराशि के व्यय के लिए अलग से प्रतिवर्ष निर्देश निदेशक, पंचायतीराज के प्रस्ताव पर शासन द्वारा जारी किये जाएंगें। इसके अतिरिक्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की कोई धनराशि यदि ब्लाक/राज्य स्तर पर अवशेष बचती है तो आनुपातिक आधार पर ग्राम पंचायतों को वापस की जाएगी क्योंकि 14वें वित्त आयोग द्वारा उक्त धनराशि ग्राम पंचायतों के लिए ही संस्तुत की गयी है।

(vi) उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए सशक्त प्राधिकारी निदेशक पंचायतीराज होंगे।

2- निष्पादन अनुदान (परफार्मेन्स ग्रान्ट) प्राप्त करने की अर्हता–

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि बेसिक ग्रान्ट के रूप में तथा 10 प्रतिशत की धनराशि परफार्मेन्स ग्रान्ट के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। 10 प्रतिशत परफार्मेन्स ग्रान्ट की धनराशि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है :–

(i) ग्राम पंचायत को अपने खाते का आडिट कराकर वित्तीय वर्ष के भीतर आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ग्राम पंचायतों को गतवर्ष की तुलना में अपने राजस्व श्रोतों में वृद्धि करना अनिवार्य है और यह वृद्धि आडिट रिपोर्ट में परिलक्षित होनी चाहिए।

3—पंचायतों को संक्रमित धनराशि के दुरूपयोग होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव, जो कि शासकीय कर्मी है, के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली बेसिक ग्रान्ट की धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या U.O. 4/16 दिनांक 18-2-16 ....में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जायेगें।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 234 (1)/33-3-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1— सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2—प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3—स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4—प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन
5— निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6— आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
7— मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10— समस्त जिला पंचायत अधिकारी उ0प्र0।
11— समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0) उ0प्र0।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।